परिपत्र संख्या 21/2017-सीमाशुल्क

फा.सं. 609/54/2017-डीबीके
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
******

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून, 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त / प्रधान महानिदेशक,
मुख्य आयुक्त / महानिदेशक,
प्रधान आयुक्त / आयुक्त,
(सीबीईसी के अंतर्गत आने वाले सभी)

महोदया/महोदय,

विषयः सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत पुनः निर्यात किए जाने पर आयातित मॉल पर भुगतान किए गए एकीकृत कर एवं प्रतिकर उपकर की प्रतिअदायगी

जैसा कि आप जानते हैं, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 के अंतर्गत आयात के समय भुगतान किए गए शुल्क की ऐसे आयातित मॉल के पुनः निर्यात पर प्रतिअदायगी की व्यवस्था है । अब तक इस प्रतिअदायगी के अंतर्गत अन्य बातों के अलावा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम (सीटीए), 1975 की धारा 3 के अंतर्गत भुगतान किए गए आधारभूत सीमाशुल्क और अतिरिक्त शुल्क की प्रतिअदायगी आती थी । इस संबंध में, आयातित मॉल का पुनः निर्यात (सीमाशुल्क प्रतिअदायगी) नियमावली, 1995 को देखा जा सकता है।

2. जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत आयात किए जाने वाले मॉल पर, सीटीए, 1975 की धारा 3(7) और 3(9) के अनुसार क्रमशः एकीकृत कर और प्रतिकर उपकर लगाया जाएगा। इसके अलावा सीटीए, 1975 की धारा 3(12) के अनुसार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार अन्य बातों के अलावा प्रतिअदायगी की बात एकीकृत कर और प्रतिकर उपकर पर भी लागू होगी। तद्नुसार, धारा 74 के अंतर्गत प्रतिअदायगी में आधारभूत सीमाशुल्क इत्यादि के साथ-साथ एकीकृत कर और प्रतिकर उपकर की वापसी भी शामिल है।

3. इस संबंध में पुनः निर्यात नियमावली, 1995 के नियम 2(क) के अंतर्गत “प्रतिअदायगी” की परिभाषा में यथोचित संशोधन किया गया है जिससे कि सीटीए, 1975 में संबंधित शुल्क या कर या उपकर की वापसी की बात शामिल की जा सके। इस संबंध में अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमाशुल्क (गै.टे) दिनांक 29.6.2017 को देखा जा सकता है।

4. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 के अंतर्गत प्रतिअदायगी की स्वीकृति देते समय दोहरा लाभ न लिया जा सके इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि केंद्र/राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के जीएसटी अधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा निर्यातकर्ता आता हो, से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र होना चाहिए कि आयातित मॉल पर भुगतान किए गए

एकीकृत कर / प्रतिकर उपकर की कोई क्रेडिट नहीं लिया गया है और न ही ऐसे किसी क्रेडिट या एकीकृत कर जिसका की पुनः निर्यातित मॉल पर भुगातान किया गया हो की वापसी का दावा किया गया हो । धारा 74 के अंतर्गत प्रतिअदायगी के दावे से संबंधित वर्तमान सभी अन्य निर्देष यथावत बने रहेंगे।

5. व्यापारियों की सूचना के लिए उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना जारी की जाए और कर्मचारियों के दिशा-निर्देश के लिए स्थाई आदेश भी जारी किए जाए। इस परिपत्र के क्रियान्वयन में यदि कोई परेशानी आये तो उसे बोर्ड की जानकारी में लाया जा सकता है।

भवदीय,

(नितीश कु. सिन्हा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार